राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली

(राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधि० 2010 की धारा 14 धारा 15 धारा 16 और धारा 17 के साथ पठित धारा 18(1) के अधीन)

आवेदन संख्या - 612 वर्षः 2025

के बीचः

एस.के. सिंह . .. . .आवेदक।

बनाम

उ०प्र० सरकार व अन्य . .. . .प्रत्यर्थियों।

संलग्नक		पेज नं.
2- (B)	वाद संख्या 612/2025 सम्बन्धित अन्य तथ्य एवं कथन	39-40
2- (C)	अन्य तथ्य /कथन के समर्थन में दस्तावेज	
(C1)	राजस्व संहिता 2006 की धारा 80 के अन्तर्गत भूमि की गैर कृषिक उपयोग परिवर्तन हेतु घोषणा/सुविधा/नियम/ दिशा निर्देश (संलग्नकः बिन्दु -9)	41-43
(C2)	वन विभाग की कार्यवाही रिपोर्ट	44-46
(C3)	वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा ध्वस्तीकरण कार्यवाही	47-48
(C4)	प्लाट- खरीददार की सूची	49-57
(C5)	खेलकूद (नव युवक मंगल दल) की भूमि पर प्रशासन की आख्या रिपोर्ट	58-65
(C6)	NGT वाद संख्या- 657/2023 आदेश एवं कार्यवाही आख्या	66-69
2 -(D)	शिकायत स्थल का चित्र	
(D1)	ध्वस्तीकरण का चित्र	70-71
(D2)	पुनः निर्माण का चित्र	72

<u>वाद सम्बन्धित अन्य कथन-</u>

1. राजस्व अभिलेख के खसरा में इसे बाग भूमि के रूप में वर्गीकृत किया गया है जो संरक्षित क्षेत्र के अन्तर्गत आता है इसे आवासीय भूमि में परिवर्तन हेतु राजस्व संहिता 2006 के धारा -80 के अनुसार किया जाता है। (संलग्नकः 2-C1)
2. शहरी क्षेत्र में भू उपयोग का वर्गीकरण आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (भारत सरकार) एवं आवास एवं शहरी नियोजन निगम (उ०प्र०) द्वारा किया जाता है जिसके अन्तर्गत यह भूमि पार्क एवं ओपन स्पेस के अन्तर्गत है अब तक इस भूमि पर 7-8 प्लाट की बिक्री की जा चुकी है।
3. वन विभाग द्वारा स्थलीय निरक्षण किया गया जिसमें पाया गया कि यहां वृक्ष लगे हुए है लेकिन पर्यावरण संरक्षण हेतु कोई कार्यवाही नही की गयी। (संलग्नकः 2-C2)
4. वाराणसी विकास प्राधिकरण में अवैध निर्माण /प्लाटिंग की शिकायत की गयी थी जिसमें कार्यवाही के रूप में 09/01/2026 को निर्मित संरचना को ध्वस्त कर दिया गया। उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 27(1) के अन्तर्गत ध्वस्तीकरण किया गया। पर्यावरणीय कानूनों के अन्तर्गत कोई कार्यवाही नही की गयी। (संलग्नकः 2-C3)
5. विकासकर्ता द्वारा पुनः निर्माण किया जाने लगा। ध्वस्तीकरण के बाद भी प्लाट बिक्री जारी है। ध्वस्तीकरण (09/01/2026) के बाद प्लाट बिक्री दिनांक 03/02/2026 को आशा तिवारी को की गयी। (संलग्नकः 2-C4)
6. विकासकर्ता का नाम - 1. उमेश कुमार सिंह - कोटवा, कोरउत, वाराणसी, 2. जितेन्द्र कुमार पटेल- ककरहिया, लोहता, वाराणसी, 3. अन्य/अज्ञात।
7. गाटा संख्या- 193 जो सरकारी भूमि है राजस्व अभिलेख में खेल कूद (नव युवक मंगल दल) के लिए संरक्षित है तथा आवास एवं शहरी नियोजन विभाग (उ०प्र०) द्वारा इसे पार्क एवं ओपन स्पेस के रूप में वर्गीकृत है फिर भी इसमें पंचायत भवन, सामुदायिक शौचालय, सड़क आदि के साथ इसके एक हिस्से पर निजी व्यक्ति का कब्जा है इस पर सभी निर्मित संरचना को हटाया जाना चाहिए। (संलग्नकः 2-C5)
8. इसके पूर्व में भी इस क्षेत्र में अवैध प्लाटिंग की शिकायत की गयी थी। NGT बाद 657/2023, जिसमें प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड को कार्यवाही हेतु आदेश दिया गया। लेकिन कार्यवाही के रूप में प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा केवल पत्र जारी किया गया कोई कार्यवाही नही की गयी। (संलग्नकः 2-C6)

<u>महत्वपूर्ण/ई–मेल/स्पीडपोस्ट</u>

प्रेषक,

आयुक्त एवं सचिव,
राजस्व परिषद, उ0प्र0,
अनुभाग–5, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

संख्याः आर–5/10ए/2015/2781 दिनांक 30 अक्टूबर, 2017

विषयः राजस्व संहिता, 2006 की धारा–80 के अन्तर्गत भूमि की गैर कृषिक उपयोग हेतु घोषणा सम्बन्धी आवेदन पत्रों का समयबद्ध निस्तारण किये जाने व ऑनलाइन आवेदन पत्र की सुविधा के संबंध में।

महोदय,

उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 की धारा–79 के प्राविधानों के अन्तर्गत संक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर को अपनी भूमि के अनन्य कब्जे और उस भूमि का किसी भी प्रयोजन के लिए उपयोग करने का अधिकार है। यदि संक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर द्वारा अपनी जोत का औद्योगिक, वाणिज्यिक अथवा आवासीय प्रयोजन हेतु उपयोग किया जाता है तो उसके द्वारा उक्त संहिता की धारा–80(1) के अन्तर्गत घोषणा करायी जा सकती है। सम्बन्धित उपजिलाधिकारी द्वारा स्वप्रेरणा से भी ऐसी घोषणा की जा सकती है।

2. परिषद के संज्ञान में आया है कि अनेकों प्रकरणों में धारा–80(1) के अन्तर्गत आवेदन पत्रों का समयबद्ध निस्तारण नहीं किया जा रहा है जिससे जहां एक ओर उद्यमियों द्वारा अपनी परियोजनाओं को प्रारम्भ करने में विलम्ब होता है वहीं दूसरी ओर उन्हें बैंक/वित्तीय संस्थानों आदि से वित्त पोषण में भी कठिनाई का सामना करना पड़ता है।

अतः प्रदेश में विकास योजनाओं को गति प्रदान करने व भूमिधरों/उद्यमियों को सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से राजस्व परिषद द्वारा उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 की धारा–80 के अन्तर्गत भूमि की गैर–कृषिक घोषणा के लिये आवेदन पत्र हेतु ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया गया है जो परिषद की वेबसाइट http://vaad.up.nic पर उपलब्ध है।

3. राजस्व संहिता की धारा 80(1) के अन्तर्गत ऑनलाइन आवेदन (आवेदन–पत्र का प्रारूप संलग्न) किये जाने के लिये आवेदक द्वारा राजस्व परिषद की बेबसाइट पर उपलब्ध पोर्टल vaad.up.nic में अपना पंजीकरण किया जायेगा। पोर्टल पर पंजीकरण के उपरान्त धारा 80(1) के अन्तर्गत भूमि की "गैर कृषिक (आवासीय/वाणिज्यिक/औद्योगिक) घोषणा" हेतु बनाये गये Icon पर क्लिक करने से आवेदन पत्र का प्रारूप खुल जायेगा तथा कम्प्यूटर स्क्रीन पर प्रदर्शित होने लगेगा। आवेदक द्वारा प्रपत्र में वांछित सूचनायें जिसमें आधार संख्या व ई–मेल (ऐच्छिक) एवं शेष समस्त सूचनायें अनिवार्य रूप से अंकित करनी होंगी। आवेदक द्वारा आवेदन–पत्र में सूचनाओं की प्रविष्टि के उपरान्त, पोर्टल पर दर्ज (submit) किया जायेगा जिससे आवेदन पत्र का कमांक व बार कोड स्वतः सृजित (generate) हो जायेगा और आवेदन पत्र के पंजीकरण कमांक की सूचना आवेदक के मोबाइल नम्बर पर एस0एम0एस0 के माध्यम से प्राप्त हो जायेगी। साथ ही आवेदक का आवेदन–पत्र संबंधित उपजिलाधिकारी के लॉगिन पर भी प्रेषित हो जायेगा।

4. धारा–80(1) के आवेदन के ऑनलाइन दर्ज हो जाने के उपरान्त आवेदक द्वारा आवेदन पत्र का प्रिन्ट–आउट लेकर उसे संबंधित उप जिलाधिकारी के न्यायालय में आवेदन पत्र में इंगित निम्नलिखित संलग्नकों सहित प्रस्तुत किया जायेगा–

क.   खातेदार/समस्त सह–खातेदारों के निर्धारित प्रारूप (प्रतिलिपि संलग्न) पर व्यक्तिगत शपथपत्र

ख.   घोषणा हेतु प्रस्तावित गाटों/भू–खण्डों का चौहद्दी सहित नज़री–नक्शा (खातेदार/समस्त सह–खातेदारों द्वारा हस्ताक्षरित)

ग.   सम्बन्धित गाटों की कलेक्टर द्वारा निर्धारित सर्किल रेट की प्रश्नोत्तरी

घ.   सम्बन्धित गाटों की अद्यतन खतौनी की प्रमाणित प्रति

ड़   सम्बन्धित गाटों की अद्यतन खसरे की प्रमाणित प्रति

5. आवेदक द्वारा धारा–80 के अन्तर्गत भूमि की गैर–कृषिक घोषणा हेतु आवेदन प्राप्त होने पर संबंधित उपजिलाधिकारी के न्यायालय में इसे "राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली" में दर्ज किया जायेगा जिससे उक्त आवेदन के सम्बन्ध में एक कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या स्वजनित प्राप्त हो जायेगी व उसकी सूचना आवेदक को भी एस0एम0एस0 के माध्यम से चली जायेगी। वाद दर्ज होने के उपरान्त उप जिलाधिकारी द्वारा इस आवेदन पत्र को विलम्बतम एक सप्ताह के अन्दर राजस्व निरीक्षक से अन्यून अधिकारी को जांच हेतु निर्दिष्ट किया जायेगा।

6. जांच अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र में अंकित खातेदार/सह खातेदारों की व्यक्तिगत सूचनायें, गैर कृषिक घोषणा हेतु भूमि से संबंधित सूचनायें एवं भूमि के उपयोग आदि की राजस्व अभिलेखों से पुष्टि करते हुये स्थानीय एवं स्थलीय जांच कर निर्धारित प्रारूप–25(क) (प्रतिलिपि संलग्न) पर जांच आख्या विलम्बतम दो सप्ताह में तहसीलदार के माध्यम से उप जिलाधिकारी के न्यायालय में प्रस्तुत की जायेगी।

7. उपजिलाधिकारी गैर कृषिक घोषणा हेतु आवेदन पत्र में दी गयी सूचनाओं और जांच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत जांच आख्या एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेखों का परीक्षण करेगा व परीक्षणोपरान्त यथास्थिति आवेदक को गैर कृषिक घोषणा हेतु निर्धारित शुल्क जमा करने के लिये अथवा आवेदन पत्र की त्रुटियों/कमियों के निराकरण हेतु निर्धारित प्रारूप 25(ख) में नोटिस देगा (समयावधि 01 सप्ताह)।

8. आवेदन पत्र पूर्ण होने व विधि सम्मत पाये जाने की दशा में उपजिलाधिकारी द्वारा निर्धारित शुल्क जमा किये जाने के नोटिस की प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर आवेदक द्वारा निर्धारित शुल्क कोषागार में जमा कराते हुए चालान की प्रति उपजिलाधिकारी के न्यायालय में प्रस्तुत की जायेगी।

9. निर्धारित शुल्क कोषागार में जमा कराने सम्बन्धी चालान की प्रति प्राप्त होने के उपरान्त उपजिलाधिकारी द्वारा एक सप्ताह के अन्दर स्वतः पूर्ण (Self-Contained) आदेश द्वारा आवेदन पत्र का निस्तारण करते हुए निर्धारित प्रारूप–25(ग) (प्रतिलिपि संलग्न) पर अनुमति–पत्र/परवाना अमल–दरामद जारी किया जायेगा। यदि किसी जोत/गाटे के आंशिक भाग को ही गैर–कृषिक घोषित करने हेतु आवेदन पत्र दिया गया है तो उपजिलाधिकारी द्वारा राजस्व संहिता, 2006 की धारा 80(3) के प्रावधानों के अनुसार ऐसे भाग का अलग सीमांकन करते हुये नया गाटा संख्या व यूनीक कोड आवंटित किया जायेगा व खाते के गाटों के संशोधित भू–राजस्व का निर्धारण भी किया जायेगा। उक्त घोषणा के फलस्वरूप गैर–कृषिक घोषित किये जाने वाले गाटों/भू–खण्डों का यूनीक कोड (यूनीक कोड के 15वें व 16वें अंक) भी परिवर्तित हो जायेगा। गैर–कृषिक उपयोग हेतु घोषित गाटों/भू–खण्डों के यूनीक कोड के 15वें व 16वें अंक "12" के स्थान पर "62" हो जायेंगे।

10. अनुमति–पत्र/परवाना अमलदरामद प्राप्त होने के तीन दिन के अन्दर तहसील स्तर पर रजिस्ट्रार कानूनगों द्वारा उपरोक्त आदेश के अनुसार भू–अभिलेखों (खतौनी) में प्रविष्टि सुनिश्चित की जायेगी।

11. आवेदन–पत्र अपूर्ण होने, आवेदन–पत्र में त्रुटियां/कमियां होने अथवा जांच अधिकारी द्वारा गैर–कृषिक घोषणा की असंस्तुति की स्थिति में कारणों सहित जांच आख्या की प्रति आवेदक को उपलब्ध कराते हुये उपजिलाधिकारी द्वारा आवेदक को अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिये अवसर देते हुये सुनवाई की तिथि निर्धारित की जायेगी।

12. आवेदक द्वारा उत्तर देने/आवेदन पत्र की कमियों/त्रुटियों के निवारण के उपरान्त उपजिलाधिकारी द्वारा एक सप्ताह में आवेदन–पत्र में दी गयी सूचनाओं, जांच अधिकारी की आख्या एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर भूमि को गैर–कृषिक घोषित किये जाने के सम्बन्ध में निर्णय लिया जायेगा व आवेदन–पत्र पूर्ण एवं विधि सम्मत पाये जाने की दशा में प्रस्तर–9 के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

13. उल्लेखनीय है कि उ0प्र0 राजस्व संहिता, 2006 की धारा–80(1) के अन्तर्गत घोषणा हेतु 45 दिन की समयावधि निर्धारित की गयी है, अतः यह सुनिश्चित किया जाये कि इस हेतु प्राप्त आवेदनों का निर्धारित समयावधि में निस्तारण अवश्य सुनिश्चित कर लिया जाये। इस हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों के निस्तारण में अनावश्यक विलम्ब को गम्भीरतापूर्वक लिया जायेगा। समस्त जिलाधिकारियों एवं मण्डलायुक्तों से अपेक्षित है कि वे इन आवेदन पत्रों के समयबद्ध निस्तारण की नियमित रूप से गहन समीक्षा करें ताकि भूमिधरों/उद्यमियों को असुविधा का सामना न करना पड़े। इस सम्बन्ध में पूर्व में जारी परिषदादेश संख्या–आर0 564/10ए/2015 दिनांक 21 फरवरी, 2017 को इस सीमा तक संशोधित किया जाता है।

अतः उपर्युक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया राजस्व संहिता, 2006 की धारा–80 के अन्तर्गत भूमि की गैर–कृषिक घोषणा के लिये अपने अधीनस्थ उपजिलाधिकारियों/पीठासीन अधिकारियों को उक्त प्रक्रिया का कड़ाई से अनुपालन कराने के लिये अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करे।

संलग्नकः यथोक्त।

भवदीया,

(लीना जौहरी)
आयुक्त एवं सचिव।

संख्या व दिनांक उपर्युक्त

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0, शासन, लखनऊ।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0, शासन, लखनऊ।
3. प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
4. प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0, शासन, लखनऊ।
5. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
6. तकनीकी निदेशक (एन0आई0सी0), राजस्व परिषद, उ0प्र0, लखनऊ को समस्त संलग्नकों सहित इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त परिषदादेश राजस्व परिषद की वेबसाइट http://bor.up.nic.in पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
7. गार्ड फाइल हेतु।

30/x/17

(लीना जौहरी)
आयुक्त एवं सचिव।

पी0जी0 पोर्टल भारत सरकार सन्दर्भ संख्या–60000250268540

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, वाराणसी वन प्रभाग, वाराणसी
(वन भवन, एच.आई.जी. 30, अशोक विहार कालोनी फेज–1, पहड़िया, वाराणसी–221007)
दूरभाष / फैक्स– 0542–2585574 ई–मेल dfovns@yahoo.in

पत्रांक– 2542 / 33–1, दिनांक, वाराणसी, दिसम्बर, 11 ,2025

सेवा में,

जिलाधिकारी
वाराणसी।

विषय– **कृषि और बागों के हुए नुकसान के सम्बन्ध में।**
सन्दर्भ– **पी0जी0 पोर्टल** भारत सरकार सन्दर्भ संख्या–60000250250268540 दिनांक 16.11.2025

महोदय,

सन्दर्भित शिकायत में श्री **संतोष कुमार** सिंह, निवासी–ग्राम ककरहीया, पोस्ट लोहता जिला–वाराणसी द्वारा अपने ग्राम में कृषि और बागों के हुए नुकसान हेतु जांच कराये जाने की शिकायत किया गया है।

उपरोक्त संदर्भित शिकायत की जांच उप प्रभागीय वनाधिकारी, **वाराणसी** एवं क्षेत्रीय वन अधिकारी वाराणसी द्वारा शिकायती स्थल कि जांच करायी गई। जांचोपरान्त मौके पर ग्राम ककरहीया के ग्राम प्रधान श्री सूरज कुमार गौड़ से सम्पर्क कर शिकायती स्थल का निरीक्षण किया गया। प्लाटिंग स्थल निजी भूमि है। जिस पर आम के कई वृक्ष वर्तमान में भी मौजूद है। ग्राम प्रधान द्वारा बताया गया की उक्त स्थल पर 15–16 साल पहले कई पेड़ सूख गये थे जिसको काट कर प्लाटिंग कराई गई थी। ग्राम के ग्रामिणवासीयों द्वारा भी यही बात बताई गई। मौके पर सयुक्त निरीक्षण के दौरान वृक्ष काटने का कोई ऐसा साक्ष्य नही पाया गया जिससे यह स्पष्ट हो कि वृक्षों को काट कर प्लाटिंग कराई गई है।

उक्त के क्रम में उप प्रभागीय वनाधिकारी वाराणसी के पत्रांक–216 / 29–1 दिनांक 29.11.2025 द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट से सहमत हो कर जांच रिपोर्ट एवं मौके पर ली गई जी.पी.एस. फोटो सहीत रिपोर्ट संलग्न कर सादर सूचनार्थ प्रेषित है।

अतः उपरोक्त जांच **रिपोर्ट** एवं मौके का फोटो **संलग्न कर** सूचनार्थ प्रेषित की कृपया इस शिकायत को वन विभाग से निक्षेपित करने का कष्ट करें।

संलग्नः उपरोक्तानुसार।

भवदीय

प्रभागीय वनाधिकारी
वाराणसी वन प्रभाग, वाराणसी

संख्या– 2542 / सम दिनांकित।
प्रतिलिपि – श्री संतोष कुमार सिंह, निवासी–ग्राम ककरहीया, पोस्ट लोहता जिला–वाराणसी को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी
वाराणसी वन प्रभाग, वाराणसी

कार्यालय उप प्रभागीय वनाधिकारी, वाराणसी वन प्रभाग, वाराणसी।

(वन भवन, एच.आई.जी. 36, अशोक विहार कालोनी फेज-1, पहड़िया, वाराणसी-221007)
दूरभाष/फैक्स- 0542 2585574 ई-मेल dfovns@yahoo.in

पत्रांक- 216 /29-1 दिनांक, वाराणसी, नवम्बर 29, 2025 ।

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
वाराणसी वन प्रभाग,
वाराणसी।

विषय:- मा0 एन.जी.टी. में योजित ओ.ए. संख्या-555/2025, एस.के. सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.11.2025 के संबंध में।

संदर्भ- आपका पत्रांक-2180/29-1 दिनांक 24.11.2025

महोदय,

उपर्युक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में अधोहस्ताक्षरी दिनांक 28.11.2025 को ग्राम-ककरहीया मो0 लोहता, जिला-वाराणसी का क्षेत्रीय वन अधिकारी, वाराणसी के साथ प्रश्नगत स्थल का निरीक्षण किया। निरीक्षण आख्या निम्नानुसार है-

1. ककरहीया के ग्राम प्रधान श्री सुरज कुमार गौंड (मो0 8528251109) से वार्ता करके उस स्थल पर पहुंचा गया जहां पर मकान बनाने के लिए प्लाटिंग की गई है।
2. प्लाटिंग स्थल निजी भूमि है, जिस पर आम के कई वृक्ष वर्तमान में भी मौजूद है।
3. ग्राम प्रधान सूरज कुमार गौंड द्वारा बताया गया है कि 15-16 साल पहले कई पेड सूख गये थे जिसको काट कर प्लाटिंग की गई है।
4. ककरहियां ग्राम के निवासीगण 1. श्री सूजित कुमार पुत्र श्री बद्री, 2. श्री शिव कुमार पुत्र स्व0 उधई, 3. शशिकुमार पुत्र श्री विजय कुमार, 4. श्री शमसेर सिंह पुत्र स्व0 राजेन्द्र सिंह एवं श्री शिवा पुत्र गौरी गौंड भी मौके पर मौजूद थे। उन सभी के द्वारा भी बिन्दु संख्या 3. में उल्लिखित बात ही बताई गई।
5. किसी भी व्यक्ति द्वारा पेड़ काट कर प्लाटिंग किये जाने की बात नही बताई गई। क्षेत्र के निरीक्षण में भी अधोहस्ताक्षरी एवं क्षेत्रीय वन अधिकारी वाराणसी को पेड़ काटे जाने जैसे कोई साक्ष्य नही मिले।
6. अभी तक अधोहस्ताक्षरी अथवा क्षेत्रीय वन अधिकारी वाराणसी को ऐसी कोई शिकायत नही मिली है जिसमे प्रश्नगत स्थल पर प्लाटिंग की प्रक्रिया में पेड़ काटे जाने का जिक्र हो।

उपरोक्तानुसार जांच आख्या आपकी सेवा में मौके पर लिये गये फोटोग्राफ के साथ प्रेषित है।
संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

Rac-Lyt RF 2/12

(दिवाकर दूबे)
क्षेत्रीय वन अधिकारी,
वाराणसी रेंज।

भवदीय
29/11/2025
(अरविन्द कुमार)
उप प्रभागीय वनाधिकारी,
वन प्रभाग वाराणसी।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी
वाराणसी वन प्रभाग वाराणसी
क्रम सं0 4465
पत्रावली सं0 253
दि0 1-12-2025

GPS Map Camera
छितौनी, उत्तर प्रदेश, भारत
8wfc+q5f, छितौनी, उत्तर प्रदेश 221107, भारत
Lat 25.323386° Long 82.92019°
शुक्रवार, 28/11/2025 03:16 PM GMT +05:30
Google

निस्तारण आख्या–प्रारुप संलगनक: 2 C 3

पत्रांक– 1148 /वि0प्रा0/भवन(जोन–3)/वार्ड–दशाश्वमेध/2025–26 दिनांक: 01.01.2026

IGRS/सन्दर्भ संख्याः–60000250288248	नियत दिनांकः–05.01.2026
शिकायत से सम्बन्धित विभागः– वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी	
शिकायतकर्ता का नाम व पताः–श्री संतोष कुमार सिंह	मोबाईल नं0 9956484229
निस्तारणकर्ता अधिकारी/कार्मिक का नामः– श्री रवीन्द्र प्रकाश	पदनाम– अवर अभियंता मोबाईल नं0– 8189057340
निस्तारण का दिनांक–	01.01.2026

शिकायत निम्न विवरण के अनुसार शासनादेश संख्या–1/2020/129/चौतीस–लो0शि0–05/2020–05लो0शि0 /2019 दिनांक 17–02–2020 के प्रस्तर–10 (ग) से आच्छादित है अतः फीडबैक हेतु निषेधित है। (यदि आच्छांदित नही है तो इसे काट दे)

विवरण–यदि शिकायत इनमें से किसी श्रेणी का है तो टिक करें (जो लागू न होउसेकाट दें)–	1–न्यायालय से सम्बन्धित–( ) 2–आर0टी0आई0 से आच्छांदित– ( ) 3–वष्हद मांग–( ) 4–सुझाव– ( ) यदि मा0 न्यायालय में वाद लंबित है तो विवरण– वाद संख्या–न्यायालय का नाम–

संक्षिप्त निस्तारण आख्या–

(यदि आवश्यक हो विस्तृत आख्या अलग से संलग्न कर दें, परन्तु संक्षिप्त निस्तारण आख्या यहां अवश्य उल्लिखित करें)

महोदय,

शिकायतकर्ता श्री सन्तोष कुमार सिंह पुत्र श्री कन्हैया के द्वारा प्रस्तुत शिकायती पत्र के अनुक्रम में क्षेत्रीय कार्मिकों द्वारा स्थल का निरीक्षण किया गया। स्थल निरीक्षण के दौरान श्री जितेन्द्र कुमार पटेल के द्वारा निवासी–ककरहिया पोरट लोहता पंचायत भवन के पीछे वार्ड–दशाश्वमेध वाराणसी पर लगभग 6000 वर्गमीटर के क्षेत्रफल में बिना ले–आउट/मानचित्र स्वीकृति के अवैध प्लाटिंग का कार्य किया जा रहा था, जिसे मौके पर बन्द कराते हुए उक्त अनाधिकृत प्लाटिंग के विरूद्ध उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा–27, 28(1) एवं 28(2) के अन्तर्गत दिनांक 15.12.2025 को नोटिस की कार्यवाही कर दी गयी थी, जिसमें सुनवाई दिनांक 18.12.2025 की तिथि निर्धारित थी, परन्तु पक्ष द्वारा उक्त निर्धारित तिथि पर उपस्थित नहीं हुआ। पक्ष द्वारा कराये गये अनाधिकृत प्लाटिंग के विरूद्ध उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा–27(1) के अन्तर्गत ध्वस्तीकरण आदेश पारित किया गया है, जिसे ध्वस्तीकरण अभियान के तहत अनाधिकृत प्लाटिंग को ध्वस्त कर दिया जायेगा। शिकायतकर्ता द्वारा प्रेषित मोबाइल नम्बर पर वार्ता कर कृत कार्यवाही से अवगत करा दिया गया। स्थल के सुलभ फोटोग्राफ संलग्न है।

GPS युक्त फोटो (अनिवार्य है।)

क्षेत्रीय कार्मिक का नाम/हस्ताक्षर अवर अभियंता। (सौरभ देव प्रजापति) जोनल अधिकारी जोन–03

Scanned with OKEN Scanner

मौके पर शिकायतकर्ता उपस्थित रहा अथवा नहीं। (हाँ/नहीं)		हां	
यदि शिकायतकर्ता की अनुपस्थिति में प्रकरण का निस्तारण किया गया		तो अनुपस्थिति का कारण	
गवाहान	क्र0सं0	नाम	मो0नं0	हस्ताक्षर
	1.	सुशील [illegible]	9808474408	[signature]
	2.			

समीक्षक/अग्रसारित करने वाले अधिकारी की संतुष्टि/अभियुक्त (स्पष्ट वर्णित करें कि निस्तारण की गुणवत्ता से संतुष्ट है/निस्तारण सम्पूर्ण समाधान दिवस सन्दर्भ संभव नहीं है।)	मेरे आनन्द प्रकाश तिवारी (फीडबैक लेने वाले अधिकारी का नाम) द्वारा दिनांक 2/01/26 को समय 01:40 pm पर वार्ता कर फीडबैक प्राप्त किया गया। मेरे द्वारा दूरभाष सं0 8189057338 से फोन किया गया कि आवेदक संतुष्ट/असंतुष्ट/अन्य (जो लागू न हो उसे काट दें) है। असंतुष्ट की दशा में मेरे द्वारा निस्तारणकर्ता अधिकारी से वार्ताकर यह पाया गया कि (जो लागू न हो उसे काट दें) (1) निस्तारण की गुणवत्ता में सुधार संभव है, अतः सम्बन्धित अधिकारी को गुणवत्ता सुधार करें, पुनः समुचित निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया। अथवा (2) आवेदक द्वारा की जा रही अपेक्षा विधि सम्मतपूर्ण होने योग्य नहीं है। अतः निस्तारण की गुणवत्ता के प्रति मैं। आश्वस्त हूँ।अग्रेत्तर कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है। वार्ता कर रिपोर्ट से अवगत कराया गया। [signature] फीडबैक लेन वाले अधिकारी के हस्ताक्षर

Scanned with OKEN Scanner

संलगनक: 2 C 4

सम्बन्धित शिकायत भूमि में प्लाट बिक्री की सूची-

क्र.सं.	दिनांक	बैनामा	विक्रेता (गाटा संख्या)	क्रेता (नाम-पता)	गवाह
1.	16/10/2025	11638	उमाशंकर (192)	उमेश कुमार सिंह ग्राम कोटवा कोरउत वाराणसी।	सुभांशु सिंह , विमला देवी।
2.	26/11/2025	13198	राजकुमार (188ख)	प्रमिला देवी बड़ी बाजार लोहता वाराणसी।	उमेश कुमार सिंह सन्तोष कुमार प्रजापति।
3.	28/11/2025	13279	विनोद (188क)	संजय कुमार विश्वकर्मा म.नं.- D44/184 रामापुर लक्सा वाराणसी।	उमेश कुमार सिंह संजय कुमार विश्वकर्मा
4.	06/12/2025	13613	कुन्दन मनोज (188क)	आजाद कुमार चित्रसेनपुर, सदर वाराणसी।	शशि कुमार उमेश कुमार सिंह
5.	06/12/2025	13614	कुन्दन मनोज (188क)	सविता देवी D 65/496 बौलिया लहरतारा वाराणसी।	शशि कुमार उमेश कुमार सिंह
6.	19/12/2025	14238	राजकुमार अशोक विनोद (188क)	अल्पना कुमारी 18/605 वरूणा विहार कालोनी बघवानाला मौजा हाल वाराणसी।	उमेश कुमार सिंह राजबहादुर यादव
7.	11/12/2025	13854	रमेश कुमार (187क)	केशरी देवी म.नं.- C 33/278 K6, चंदुआ छित्तुपुर, वाराणसी।	अशोक शर्मा उमेश कुमार सिंह
8.	03/02/2026	1184	राजकुमार (187क)	आशा तिवारी प्लाट नं.- 810 नुरूद्दीन शहीद सनातन नगर कालोनी फुलवरिया सरैया वाराणसी।	उमेश कुमार सिंह अनिश कुमार सरोज

अभिलेख का प्रकार : विक्रय पत्र	
वर्ष	2025
लेखपत्र संख्या	11638
प्रष्ठ संख्या	111 से 130 तक
खंड संख्या	**9619**
पंजीकृत उप निबंधक कार्यालय	गंगापुर
निष्पादन की तिथि	15 OCT 2025
पंजीकरण की तिथि	16 OCT 2025
संपत्ति की स्थिति	
जनपद	वाराणसी
उप निबंधक	गंगापुर
वार्ड/ परगना	कसवार राजा
मोहल्ला/ग्राम	ककरहिया
संपत्ति का विवरण	
भूमि का प्रकार	आवासीय(अकृषक)
खसरा /मकान /गाटा संख्या	192क
भूमि की अवस्थिति	आराजी नं0 192क रकबा 0.060 हे0 मे मुकिर अपना सम्पूर्ण वैधानिक 1/9 अंश रकबा 0.0066666 हे0 यानी 725 वर्गफीट यानी 67.379 वर्गमीटर
भूमि की इकाई	वर्ग मीटर
क्षेत्रफल	67.379
स्वामित्व का अंश	0
स्वामित्व के विक्रीत अंश	0
बाजारी मूल्य	रु. 405000
प्रतिफल	रु. 1120000
स्टाम्प शुल्क	रु.78400
पक्ष विवरण	
प्रथम पक्ष	
नाम	उमाशंकर
पिता/माता/पति का नाम	स्व० गरजू
पता	ग्राम ककरहिया परगना कसवार राजा तहसील सदर जिला वाराणसी।
द्वितीय पक्ष	
नाम	उमेश कुमार सिंह
पिता/माता/पति का नाम	अवधेश सिंह
पता	ग्राम कोटवां कोरउत जिला वाराणसी
गवाह	
नाम	शुभांशू सिंह
पिता/माता/पति का नाम	कन्हैया लाल
पता	ककहरियां लोहता वाराणसी।
गवाह	
नाम	विमला देवी
पिता/माता/पति का नाम	उमाशंकर सिंह
पता	ककरहियां, लोहता वाराणसी।

अभिलेख का प्रकार : विक्रय पत्र	
वर्ष	2025
लेखपत्र संख्या	13198
खंड संख्या	9700
संपत्ति की स्थिति	
जनपद	वाराणसी
उप निबंधक	गंगापुर
वार्ड/ परगना	कसवार राजा
मोहल्ला/ग्राम	ककरहिया
संपत्ति का विवरण	
भूमि का प्रकार	आवासीय(अकृषक)
खसरा /मकान /गाटा संख्या	
भूमि की अवस्थिति	आराजी नम्बर 188ख रकबा 0.0110 हे० में प्रथम पक्ष अपने सम्पूर्ण अंश में से सिर्फ रकबा 345 वर्गफीट यानि 32.063 वर्गमीटर
भूमि की इकाई	वर्ग मीटर
क्षेत्रफल	32.063
स्वामित्व का अंश	0
स्वामित्व के विक्रीत अंश	0
बाजारी मूल्य	रु. 161000
प्रतिफल	रु. 150000
स्टाम्प शुल्क	रु.9700
निष्पादन की तिथि	26 NOV 2025
पंजीकरण की तिथि	26 NOV 2025
पक्ष विवरण	
प्रथम पक्ष	
नाम	राजकुमार पटेल
पिता/माता/पति का नाम	रामबरन
पता	ग्राम ककरहिया लोहता जिला वाराणसी
द्वितीय पक्ष	
नाम	प्रमिला देवी
पिता/माता/पति का नाम	संतोष कुमार प्रजापति
पता	बड़ी बाजार लोहता जिला वाराणसी
गवाह	
नाम	उमेश कुमार सिंह
पिता/माता/पति का नाम	अवधेश नारायण सिंह
पता	ग्राम कोटवां जिला वाराणसी
गवाह	
नाम	संतोष कुमार प्रजापति
पिता/माता/पति का नाम	स्व० रामचन्द्र राम
पता	ग्राम बडी बाजार लोहता जिला वाराणसी

अभिलेख का प्रकार : विक्रय पत्र	
वर्ष	2025
लेखपत्र संख्या	13279
खंड संख्या	9704
संपत्ति की स्थिति	
जनपद	वाराणसी
उप निबंधक	गंगापुर
वार्ड/ परगना	कसवार राजा
मोहल्ला/ग्राम	ककरहिया
संपत्ति का विवरण	
भूमि का प्रकार	आवासीय(अकृषक)
खसरा /मकान /गाटा संख्या	
भूमि की अवस्थिति	आराजी नम्बर 188क रकबा 0.0330 हेक्टेयर में प्रथम पक्ष अपने वैधानिक अंश में से सिर्फ रकबा 400 वर्गफीट यानि 37.174 वर्गमीटर
भूमि की इकाई	वर्ग मीटर
क्षेत्रफल	37.174
स्वामित्व का अंश	0
स्वामित्व के विक्रीत अंश	0
बाजारी मूल्य	रु. 224000
प्रतिफल	रु. 220000
स्टाम्प शुल्क	रु.15700
निष्पादन की तिथि	28 NOV 2025
पंजीकरण की तिथि	28 NOV 2025
पक्ष विवरण	
प्रथम पक्ष	
नाम	विनोद कुमार
पिता/माता/पति का नाम	स्व० हरखन
पता	ग्राम ककरहिया परगना कसवार राजा तहसील सदर जिला वाराणसी
द्वितीय पक्ष	
नाम	संजय कुमार विश्वकर्मा
पिता/माता/पति का नाम	किशन विश्वकर्मा
पता	मकान न0 डी0 44/184 रामापुरा, लक्सा, वाराणसी
गवाह	
नाम	उमेश कुमार सिंह
पिता/माता/पति का नाम	अवधेश नारायण सिंह
पता	ग्राम कोटवा कोरउत जिला वाराणसी
गवाह	
नाम	संजय कुमार विश्वकर्मा
पिता/माता/पति का नाम	स्व0 जमुना प्रसाद
पता	ग्राम चुरावनपुर, वाराणसी

अभिलेख का प्रकार : विक्रय पत्र	
वर्ष	2025
लेखपत्र संख्या	13613
खंड संख्या	9721
संपत्ति की स्थिति	
जनपद	वाराणसी
उप निबंधक	गंगापुर
वार्ड/ परगना	कसवार राजा
मोहल्ला/ग्राम	ककरहिया
संपत्ति का विवरण	
भूमि का प्रकार	आवासीय(अकृषक)
खसरा /मकान /गाटा संख्या	
भूमि की अवस्थिति	आराजी नम्बर 188क
भूमि की इकाई	वर्ग मीटर
क्षेत्रफल	39.21
स्वामित्व का अंश	0
स्वामित्व के विक्रीत अंश	0
बाजारी मूल्य	रु. 202000
प्रतिफल	रु. 225000
स्टाम्प शुल्क	रु.15800
निष्पादन की तिथि	06 DEC 2025
पंजीकरण की तिथि	06 DEC 2025
पक्ष विवरण	
प्रथम पक्ष	
नाम	कुन्दन
पिता/माता/पति का नाम	लउधर
पता	ग्राम ककरहिया परगना कसवार राजा तहसील सदर जिला वाराणसी
प्रथम पक्ष	
नाम	मनोज कुमार
पिता/माता/पति का नाम	हरखन
पता	ग्राम ककरहिया परगना कसवार राजा तहसील सदर जिला वाराणसी हालपता केशरीपुर रोहनिया वाराणसी
द्वितीय पक्ष	
नाम	आजाद कुमार
पिता/माता/पति का नाम	मुन्नालाल
पता	ग्राम चित्रसेनपुर परगना कसवार राजा तहसील राजातालाब जिला वाराणसी
गवाह	
नाम	शशि कुमार
पिता/माता/पति का नाम	बेचुलाल
पता	ग्राम लोहता जिला वाराणसी
गवाह	
नाम	उमेश कुमार सिंह
पिता/माता/पति का नाम	अवधेश नारायण सिंह
पता	ग्राम कोटवा जिला वाराणसी

अभिलेख का प्रकार : विक्रय पत्र	
वर्ष	2025
लेखपत्र संख्या	13614
खंड संख्या	9721
संपत्ति की स्थिति	
जनपद	वाराणसी
उप निबंधक	गंगापुर
वार्ड/ परगना	कसवार राजा
मोहल्ला/ग्राम	ककरहिया
संपत्ति का विवरण	
भूमि का प्रकार	आवासीय(अकृषक)
खसरा /मकान /गाटा संख्या	
भूमि की अवस्थिति	आराजी नम्बर 188क
भूमि की इकाई	वर्ग मीटर
क्षेत्रफल	45.353
स्वामित्व का अंश	0
स्वामित्व के विक्रीत अंश	0
बाजारी मूल्य	रु. 232000
प्रतिफल	रु. 225000
स्टाम्प शुल्क	रु.14000
निष्पादन की तिथि	06 DEC 2025
पंजीकरण की तिथि	06 DEC 2025
पक्ष विवरण	
प्रथम पक्ष	
नाम	कुन्दन
पिता/माता/पति का नाम	लउधर
पता	ग्राम ककरहिया परगना कसवार राजा तहसील सदर जिला वाराणसी
प्रथम पक्ष	
नाम	मनोज कुमार
पिता/माता/पति का नाम	हरखन
पता	ग्राम ककरहिया परगना कसवार राजा तहसील सदर जिला वाराणसी हालपता केशरीपुर रोहनिया वाराणसी
द्वितीय पक्ष	
नाम	सविता देवी
पिता/माता/पति का नाम	संतोष कुमार
पता	डी65/496 बौलिया लहरतारा वाराणसी
गवाह	
नाम	शशि कुमार
पिता/माता/पति का नाम	बेचुलाल
पता	ग्राम लोहता जिला वाराणसी
गवाह	
नाम	उमेश कुमार सिंह
पिता/माता/पति का नाम	अवधेश नारायण सिंह
पता	ग्राम कोटवा जिला वाराणसी

अभिलेख का प्रकार : विक्रय पत्र	
वर्ष	2025
लेखपत्र संख्या	14238
खंड संख्या	**9754**
संपत्ति की स्थिति	
जनपद	वाराणसी
उप निबंधक	गंगापुर
वार्ड/ परगना	कसवार राजा
मोहल्ला/ग्राम	ककरहिया
संपत्ति का विवरण	
भूमि का प्रकार	आवासीय(अकृषक)
खसरा /मकान /गाटा संख्या	
भूमि की अवस्थिति	आराजी नं० 188क रकबा 918 वर्गफीट यानि 85.316 वर्गमीटर।
भूमि की इकाई	वर्ग मीटर
क्षेत्रफल	85.316
स्वामित्व का अंश	0
स्वामित्व के विक्रीत अंश	0
बाजारी मूल्य	रु. 575000
प्रतिफल	रु. 472500
स्टाम्प शुल्क	रु.34500
निष्पादन की तिथि	19 DEC 2025
पंजीकरण की तिथि	19 DEC 2025
पक्ष विवरण	
प्रथम पक्ष	
नाम	राजकुमार
पिता/माता/पति का नाम	स्व० हरखन
पता	ग्राम ककरहिया, जिला वाराणसी हालमुकाम ग्राम केशरीपुर, नैयपुरा, भुल्लनपुर, जिला वाराणसी।
प्रथम पक्ष	
नाम	अशोक कुमार
पिता/माता/पति का नाम	स्व० हरखन
पता	ग्राम ककरहिया, परगना कसवार राजा, तहसील सदर जिला वाराणसी।
प्रथम पक्ष	
नाम	विनोद कुमार
पिता/माता/पति का नाम	स्व० हरखन
पता	ग्राम ककरहिया, परगना कसवार राजा, तहसील सदर जिला वाराणसी।
द्वितीय पक्ष	
नाम	अल्पना कुमारी
पिता/माता/पति का नाम	संदीप कुमार आनन्द
पता	18/60 एस वरूणा बिहार कालोनी बघवानाला मौजाहाल, जिला वाराणसी, उ०प्र०-221007
गवाह	
नाम	उमेश कुमार सिंह
पिता/माता/पति का नाम	स्व० अवधेश नरायण सिंह
पता	ग्राम कोटवां कोरउत जिला वाराणसी।
गवाह	
नाम	राजबहादुर यादव
पिता/माता/पति का नाम	चन्द्रमा प्रसाद
पता	ग्राम चकडीहा, भारतगंज, मांडा खास, जिला इलाहाबाद।

अभिलेख का प्रकार : विक्रय पत्र	
वर्ष	2025
लेखपत्र संख्या	13854
खंड संख्या	**9733**
संपत्ति की स्थिति	
जनपद	वाराणसी
उप निबंधक	गंगापुर
वार्ड/ परगना	कसवार राजा
मोहल्ला/ग्राम	ककरहिया
संपत्ति का विवरण	
भूमि का प्रकार	आवासीय(अकृषक)
खसरा /मकान /गाटा संख्या	187क
भूमि की अवस्थिति	आराजी नंबर 187क रकबा 652 वर्गफीट यानि 60.59 वर्गमीटर
भूमि की इकाई	वर्ग मीटर
क्षेत्रफल	60.59
स्वामित्व का अंश	0
स्वामित्व के विक्रीत अंश	0
बाजारी मूल्य	रु. 433000
प्रतिफल	रु. 700000
स्टाम्प शुल्क	रु.42000
निष्पादन की तिथि	11 DEC 2025
पंजीकरण की तिथि	11 DEC 2025
पक्ष विवरण	
प्रथम पक्ष	
नाम	रमेश कुमार पटेल
पिता/माता/पति का नाम	स्व. रामबरन
पता	ग्राम ककरहियाँ, लोहता, परगना कसवार राजा, तहसील सदर, जिला वाराणसी-(उ०प्र०)-221107
द्वितीय पक्ष	
नाम	केशरी देवी
पिता/माता/पति का नाम	स्व. बिरजू राजभर
पता	मकान नं० सी० 33/278-के 6, चंदुआ छित्तुपुर, जिला वाराणसी-(उ०प्र०)-221002
गवाह	
नाम	अशोक शर्मा
पिता/माता/पति का नाम	रविन्द्र शर्मा
पता	बेदौली, बर्थारागंगवार, वाराणसी।
गवाह	
नाम	उमेश कुमार सिंह
पिता/माता/पति का नाम	अवधेश नारायण सिंह
पता	ग्राम कोटवां, कोरउत, वाराणसी।

अभिलेख का प्रकार : विक्रय पत्र	
वर्ष	2026
लेखपत्र संख्या	1184
खंड संख्या	9834
संपत्ति की स्थिति	
जनपद	वाराणसी
उप निबंधक	गंगापुर
वार्ड/ परगना	कसवार राजा
मोहल्ला/ग्राम	ककरहिया
संपत्ति का विवरण	
भूमि का प्रकार	आवासीय(अकृषक)
खसरा /मकान /गाटा संख्या	187क
भूमि की अवस्थिति	आराजी नम्बर 187क रकबा 0.061 हे० में प्रथम पक्ष अपने वैधानिक अंश में से सिर्फ रकबा 600 वर्गफीट यानि रकबा 55.76 वर्गमीटर
भूमि की इकाई	वर्ग मीटर
क्षेत्रफल	55.76
स्वामित्व का अंश	0
स्वामित्व के विक्रीत अंश	0
बाजारी मूल्य	रु. 340000
प्रतिफल	रु. 310000
स्टाम्प शुल्क	रु.20400
निष्पादन की तिथि	03 FEB 2026
पंजीकरण की तिथि	03 FEB 2026
पक्ष विवरण	
प्रथम पक्ष	
नाम	राजकुमार पटेल
पिता/माता/पति का नाम	रामबरन
पता	ग्राम ककरहिया, लोहता, जिला वाराणसी
द्वितीय पक्ष	
नाम	आशा तिवारी
पिता/माता/पति का नाम	रविन्द्र तिवारी
पता	प्लाट न० 810 नुरूद्दीन शहीद सनातन नगर कालोनी फुलवरिया सरैया जिला वाराणसी
गवाह	
नाम	उमेश कुमार सिंह
पिता/माता/पति का नाम	अवधेश नारायण सिंह
पता	ग्राम कोटवा,कोरउत, जिला वाराणसी
गवाह	
नाम	आतिश कुमार सरोज
पिता/माता/पति का नाम	राजेश कुमार
पता	ग्राम महेशपुर, जिला वाराणसी

संलगनक: 2 C 5

आख्या – प्रारूप

IGRS सन्दर्भ संख्या :	60000250289814	दिनांक 14.12.2025
शिकायत से सम्बन्धित विभाग :	युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल, विभाग	
शिकायतकर्ता का नाम व पता :	श्री संतोष कुमार सिंह, ग्राम ककरहिया, पोस्ट–लोहता, वि0ख0–काशी विद्यापीठ, वाराणसी	मोबाइल नम्बर : 9956484229
निस्तारणकर्ता अधिकारी / कार्मिक का नाम :	श्रीमती रागिनी सिंह	पदनाम : क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रा0वि0द0 अधिकारी मोबाइल नम्बर : 8577986706
निस्तारण का दिनांक :	06-01-2026	

शिकायत निम्न विवरण के अनुसार शासनादेश संख्या–1/2020/129/चौतीस–लो0शि0–05/2020–05 लो0शि0/2019, दिनांक 17–02–2020 के प्रस्तर–10(ग) से आच्छादित है अतः फीडबैक हेतु निषेधित है। (यदि आच्छादित नहीं है तो इसे काट दें)

विवरण यदि शिकायत इनमें से किसी श्रेणी का है तो टिक करें (जो लागू न हो उसे काट दे)	1– न्यायालय से सम्बन्धित	(X)
	2– RTI से आच्छादित	(X)
	3– वृहद माँग	(✓)
	4– सुझाव	(X)
	यदि मा0 न्यायालय में वाद लम्बित है तो विवरण– वाद संख्या–न्यायालय का नाम	

संक्षिप्त निस्तारण आख्या–

आई.जी.आर.एस. पोर्टल पर भारत सरकार (पी0जी0 पोर्टल) सन्दर्भ संख्या–60000250289814 दिनांक 14.12.2025 द्वारा श्री संतोष कुमार सिंह, ग्राम–ककरहिया, विकास खण्ड–काशी विद्यापीठ, वाराणसी द्वारा शिकायत किया गया है कि :–

1. ग्राम–ककरहिया, पोस्ट–लोहता, जिला–वाराणसी में गाटा संख्या–193, सरकारी भूमि खेलकूद (नवयुवक मंगल दल) के लिए छोड़ा गया है।
2. नवयुवक मंगल दल की भूमि पर निर्माण कर इसे पूरी तरह से नष्ट/कब्जा कर लिया गया है, निर्माणकर्ता :–
   - पंचायत द्वारा पंचायत भवन/सुलभ शौचालय आदि का निर्माण किया गया है।
   - इसके एक किनारे पर इस भूमि पर मार्ग का निर्माण किया गया है।
   - निजी व्यक्ति को पंचायत द्वारा कब्जा एवं निर्माण कराया गया है, जिसमें वर्तमान में मकान का निर्माण हो रहा है।
   - वर्तमान में नव युवक मंगल दल की भूमि तय रकबा से आधा से कम मौके पर है।

उक्त खेलकूद की भूमि गाटा संख्या–193 नव युवक मंगल दल को खाली/अतिक्रमण मुक्त रखने की मांग की गयी है।

तद्क्रम में निस्तारणकर्ता अधिकारी द्वारा मौके पर आवेदक एवं ग्राम प्रधान की उपस्थिति में स्थलीय निरीक्षण किया गया तथा सम्बन्धित लेखपाल से भी सम्पर्क किया गया, लेखपाल क्षेत्र मनोरथपुर ने अपने पत्र दिनांक 02.01.2026 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा अवगत कराया गया है कि ग्राम ककरहिया, परगना–कसवार राजा, तहसील–सदर, जिला–वाराणसी में स्थित आ0न0 193, रकबा 0.045 हे0 नव युवक मंगल दल के नाम से सरकारी अभिलेख में अंकित है। उक्त आ0नं0 का भूचित्र बड़ा है। दिनांक 02.01.2026 को उक्त आ0नं0 193, रकबा 0.045 हे0 नव युवक मंगल दल जमीन का सीमाकंन ग्राम प्रधान अगल–बगल के कास्तकारों तथा अन्य ग्रामीणों की उपस्थिति में करके निशान देही कर दिया गया, उक्त आ0नं0 मौके पर खाली है, तथा उसमें पूर्व से पंचायत भवन व ओपन जिम तथा पंचायत भवन पर आने वाले इण्टरलाकिंग रास्ता बना हुआ है। नव निर्माण आ0नं0 193 रकबा 0.045 हे0 नव युवक मंगल दल की भूमि पर नहीं हो रहा है। ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत–ककरहिया, विकास खण्ड–काशी विद्यापीठ ने अपने पत्र दिनांक 06.01.2025 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा भी लेखपाल का ही आख्या दिया गया है।

अतः प्रकरण निस्तारित करने का कष्ट करें।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं
प्रा0 वि0 द0 अधिकारी
विकास खण्ड काशी विद्यापीठ
वाराणसी
(निस्तारणकर्ता अधिकारी का हस्ताक्षर)

मौके पर शिकायतकर्ता उपस्थित रहा अथवा नहीं (हाँ/नहीं) हाँ

यदि शिकायतकर्ता की अनुपस्थिति में प्रकरण का निस्तारण किया गया तो अनुपस्थिति का कारण

गवाहान :–	नाम	मो0न0	हस्ताक्षर
	1–नंदनी देवी	9129089309	
	2–लाल बहादुर	6307375188	

समीक्षक/अग्रसारित करने वाले अधिकारी की संतुष्टि/अभ्युक्ति (स्पष्ट वर्णित करें कि निस्तारण की गुणवत्ता से संतुष्ट है/निस्तारण सम्पूर्ण समाधान दिवस सन्दर्भ संभव नहीं है)	प्रभारी जिला युवा कल्याण अधिकारी द्वारा दिनांक 06.01.2026 को अपराह्न 3:14 बजे आई0जी0आर0एस0 शिकायत संख्या 60000250289814 के आवेदक द्वारा प्रदत्त मोबाइल नम्बर 9956484229 से द्वारा दूरभाष नं. 05422502001 से फोन करके फीड बैक लिया गया तथा यह पाया गया कि आवेदक संतुष्ट है। हस्ताक्षर

जिला युवा कल्याण एवं
प्रा0वि0द0 अधिकारी
वाराणसी

Scanned with CamScanner

नं:२८.   महोदय,

संलग्न प्रार्थना-पत्र प्रार्थी सन्तोष कुमार सिंह नि० ग्राम ककरहिया परगना कस्वार राजा तहसील सदर जिला वाराणसी द्वारा सरकारी खेलकूद की जमीन पर निर्माण के सम्बन्ध में दिया गया है। स्थलीय एवं अभिलेखीय जाँच आख्या निम्नवत् है।

ग्राम ककरहिया परगना कस्वार राजा तह० सदर जिला वाराणसी में स्थित आ०नं० 193 रकबा 0.045 हे० नव युवक मंगल दल के नाम सरकारी अभिलेख में अंकित है। उक्त आराजी नं० का धूमिल पड़ा है। दिनांक 02.01.2021 ई० को उक्त आ०नं० 193 रकबा 0.045 हे० नवयुवक मंगल दल जमीन का सीमांकन ग्राम प्रधान अमल० बाल के काश्तकार तथा अन्य ग्रामीणों की उपस्थिति में करके निशानदेही कर दिया गया, उक्त आराजी मौके पर खाली है, तथा उसमें पूर्व से पंचायत भवन व ओपेन जिम तथा पंचायत भवन पर आने के लिए इण्टरलॉकिंग रास्ता बना हुआ है। नवनिर्माण आ०नं० 193 रकबा 0.045 हे० नव युवक मंगल दल की भूमि पर नहीं हो रहा है। कार्यवाही की प्रति साथ में संलग्न है।

आख्या सादर सेवा में प्रेषित।

क्षेत्र मनोरथपुर
02.01.2026

Scanned with CamScanner

ग्राम पंचायत ककरहिया

ब्लाक काशी विद्यापीठ

जिला-वाराणसी

पूजा
(ग्राम प्रधान)
मो0 8528251139, 6394140589

निवासः
ककरहिया, लोहता
जिला- वाराणसी

महोदय

दिनांक
06/01/26

संलग्न प्रार्थना पत्र संतोष कुमार सिंह नि० ग्राम ककरहिया परगना कसवार राजा तहसील सदर जिला वाराणसी द्वारा सरकारी नव युवक मंगल दल की जमीन पर निर्माण के सम्बन्ध मे दिया गया है।

अवगत कराना है कि ग्राम ककरहिया परगना कसवार राजा त० सदर जिला वाराणसी मे स्थित आ० न० 193 रकबा 0.045 है० नवयुवक मंगल दल के नाम से सरकारी अभिलेखो मे अंकित है उक्त आ० न० का भुचित्र बड़ा है। दिनांक 02/01/26 को उक्त आ०न० रकबा 0.045 है० नवयुवक मंगल दल जमीन का सीमांकन मेरी व अगल बगल के कास्तकारो तथा अन्य ग्रामीणो की उपस्थिति मे लेखपाल द्वारा करके निशान देही कर दिया गया उक्त आ० मौके पर खाली है तथा इसमे पूर्व से पंचायत भवन व ओपेन जिम व सामुदायिक शौचालय व पंचायत भवन पर आने के लिए इन्टरलाकिंग रास्ता बना हुआ है नव निर्माण आ० न० 193 रकबा 0.045 है० नव युवक मंगल दल की भुमि पर नही हो रहा है।

ग्राम पंचायत-ककरहिया
प्रधान
पूजा
दि०
वि०ख०-का०वि०पी०-वाराणसी
06/01/26

मौके पर शिकायतकर्ता उपस्थित रहा अथवा नहीं। (हाँ/नहीं) हाँ
यदि शिकायतकर्ता की अनुपस्थिति में प्रकरण का निरतारण किया गया तो अनुपस्थिति का कारण

गवाहान	नाम	मो०नं०	हस्ताक्षर
	1. नंदिनी देवी	8127080309	नन्दनी देवी
	2. लाल बहादुर	6307375199	लालबहादुर

समीक्षक/अग्रसारित करने वाले अधिकारी की संतुष्टि/अभियुक्त (स्पष्ट वर्णित करें कि निस्तारण की गुणवत्ता से संतुष्ट है/निस्तारण सम्पूर्ण समाधान दिवस सन्दर्भ संभव नहीं है।)	मेरे लाल..........(फीडबैक लेने वाले अधिकारी का नाम)द्वारा दिनांक ....को समय..........पर वार्ता कर फीडबैक प्राप्त किया गया। मेरे द्वारा दूरभाष सं0..........से फोन किया गया कि आवेदक संतुष्ट/असंतुष्ट/अन्य(जो लागू न हो उसे काट दें) है। .... असंतुष्ट की दशा में मेरे द्वारा निस्तारणकर्ता अधिकारी से वार्ताकर यह पाया गया कि (जो लागू न हो उसे काट दें) (1) निस्तारण की गुणवत्ता में सुधार संभव है, अतः सम्बन्धित अधिकारी को गुणवत्ता सुधार करें, पुनः समुचित निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया। अथवा (2) आवेदक द्वारा की जा रही अपेक्षा विधि सम्मत पूर्ण होने योग्य नहीं है।अतः निस्तारण की गुणवत्ता के प्रति मै। आश्वस्त हूँ। अग्रेत्तर कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है। फीडबैक लेने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर/पदनाम

368 0

निस्तारणआख्या प्रारूप

(सभी कॉलमभरनाअनिवार्य है।)

IGRS संदर्भ/हेल्पलाइनसन्दर्भ संख्या–दिनांक– 60000250289814 | 14.12.025

विभाग से सम्बन्धितविषय– राजस्व विभाग

शिकायतकर्ताकानाम व पता– सन्तोष कुमार सिंह नि० ककरहिया

मोबाईल नं0 9956484229

निस्तारणअधिकारी / कार्मिककानाम– अभ्युदय प्रताप सिंह

पदनाम– लेखपाल

मोबाईल नं0 9454850695

निस्तारणदिनांक–	2.01.026

...के अनुसार शासनादेश संख्या–1/2020/129/चौतीस–लो0शि0–05 /2020–05लो0शि0 / 2019 ... दिनांक ...–2020 के प्रस्तर–10 (ग) से आच्छादितहैअतः फीडबैकहेतुनिषेधितहैं। (यदि आच्छादित नहीं हैतोइसकाउ...

...से किसी श्रेणी ... (जो लागू न होउसेकाट दें)–	1–न्यायालय से सम्बन्धित–(x) 2–आर0टी0आई0 से आच्छादित– (x) 3–वृहद मांग–(x) 4–सुझाव– (x) यदि मा0न्यायालय मेंवादलंबितहैतोविवरण x वाद संख्या–न्यायालय का नाम– x

निस्तारणआख्या–
(...विस्तृतआख्या अलग से संलग्नकरदें, परन्तुसंक्षिप्तनिस्तारणआख्या यहां...विषय उल्लिखित करें)

महोदय,
संलग्न प्रार्थना पत्र प्रार्थी सन्तोष कुमार सिंह नि० ग्राम ककरहिया परगना फखरपुर तहसील सदर जिला बहराइच द्वारा सरकारी खेलकूद की जमीन पर निर्माण के सम्बन्ध में दिया गया है। स्थलीय एवं अभिलेखीय जाँच आख्या निम्नवत है।

ग्राम ककरहिया परगना फखरपुर तह० सदर जिला बहराइच में स्थित आ०न० 193 रकबा 0.045 हे. नव युवक मंगल दल के नाम सरकारी अभिलेख में अंकित है। उक्त आराजी में का भूमि पड़ा है। दिनांक 02.01.2026 ई. को उक्त आ०न० 193 रकबा 0.045 हे. नवयुवक मंगल दल जमीन का सीमांकन ग्राम प्रधान अमल ... के काश्तकार तथा अन्य ग्रामीणों की उपस्थिति में करके चिन्हित कर दिया गया, उक्त आराजी मौके पर खाली है, तथा उसमें पूर्व से पंचायत भवन व ओपेन जिम तथा पंचायत भवन पर आने के लिए इंटरलॉकिंग रास्ता बना हुआ है। नवनिर्माण आ०न० 193 रकबा 0.045 हे० नव युवक मंगल दल की भूमि पर नहीं हो रहा है। कार्यवाही की प्रतिसाद ... संलग्न है।

आख्या सादर सेवा में प्रेषित।

(हस्ताक्षर)
क्षेत्र अमोरवपुर
02.01.2026

महोदय,

प्रकरण खेल कूद की जमीन कब्जा से सम्बन्धित है। प्रश्नगत आराजी 193 रकबा 0.045 हे0 सरकारी अभिलेख खतौनी में नवयुवक मंगल दल के नाम अंकित है। उक्त आराजी में पंचायत भवन, ओपेन जिम तथा पंचायत भवन पर आने-जाने के लिए इण्टरलॉकिंग रास्ता बना हुआ है जिसका निर्माण सरकारी है। किसी व्यक्ति विशेष द्वारा कोई अतिक्रमण नहीं किया गया है। मौके पर ग्राम प्रधान के समक्ष सीमांकन कर निशानदेही कर दी गई है। आवेदक को दूरभाष पर कारण से अवगत करा दिया गया है।

आख्या सादर प्रेषित।

02/01/2026

G.P.S. फोटो संलग्न है

GPS युक्तफोटो (अनिवार्य है।)

क्याशिकायतकर्ताउपस्थितरहाअथवानहीं। (हाँ/नहीं) नहीं हाँ

यदिशिकायतकर्ता की अनुपस्थितिमेंप्रकरणकानिस्तारणकियागयातोअनुपस्थितिकाकारण

गवाहान	नाम	मो0नं0	हस्ताक्षर
	1. फोन आवेदक की कि द्वारा फोटो संलग्न है		
	2.		

समीक्षक / अग्रसारितकरनेवालेअधिकारी की संतुष्टि / अभियुक्त

(स्पष्ट वर्णितकरेंकिनिस्तारण की गुणवत्ता से संतुष्ट / निस्तारणसम्पूर्णसमाधानदिवसरान्दर्भसंभवनहीं है।)

महोदय

प्रकरण खेलकूद की जमीन की अतिक्रमण का है। प्रश्नगत भूमि नवयुवक मंगल दल के नाम अभिलेख में अंकित है जिसका सीमांकन कर निशानदेही कर दी गयी। उक्त भूखण्ड पर पंचायत भवन व ओपेन जिम के साथ इण्टरलॉकिंग रास्ता बना है कोई अतिक्रमण नहीं है।

आख्या सादर प्रेषित।

04/01/26

मेरे ....(फीडबैक लेनेवालेअधिकारी का नाम)द्वारादिनांक ....को समय परवार्ताकरफीडबैकप्राप्तकियागया।मेरे द्वारादूरभाष पर फोनकियागयाथाकिआवेदक संतुष्ट / असंतुष्ट [illegible] है। ....

असंतुष्ट की दशामेंमेरे द्वारानिस्तारणकर्ता [illegible] पायागयाकि (जो लागू न होउसेकाट दें)

(1) निस्तारण की गुणवत्तामेंसुधारकरना [illegible] सम्बन्धितअधिकारीकोगुणवत्तापूर्ण [illegible] समुचितनिस्तारण [illegible]

(2) [illegible]

फीडबैकलेनेवालेअधिकारी के हस्ताक्षर

02/01/26

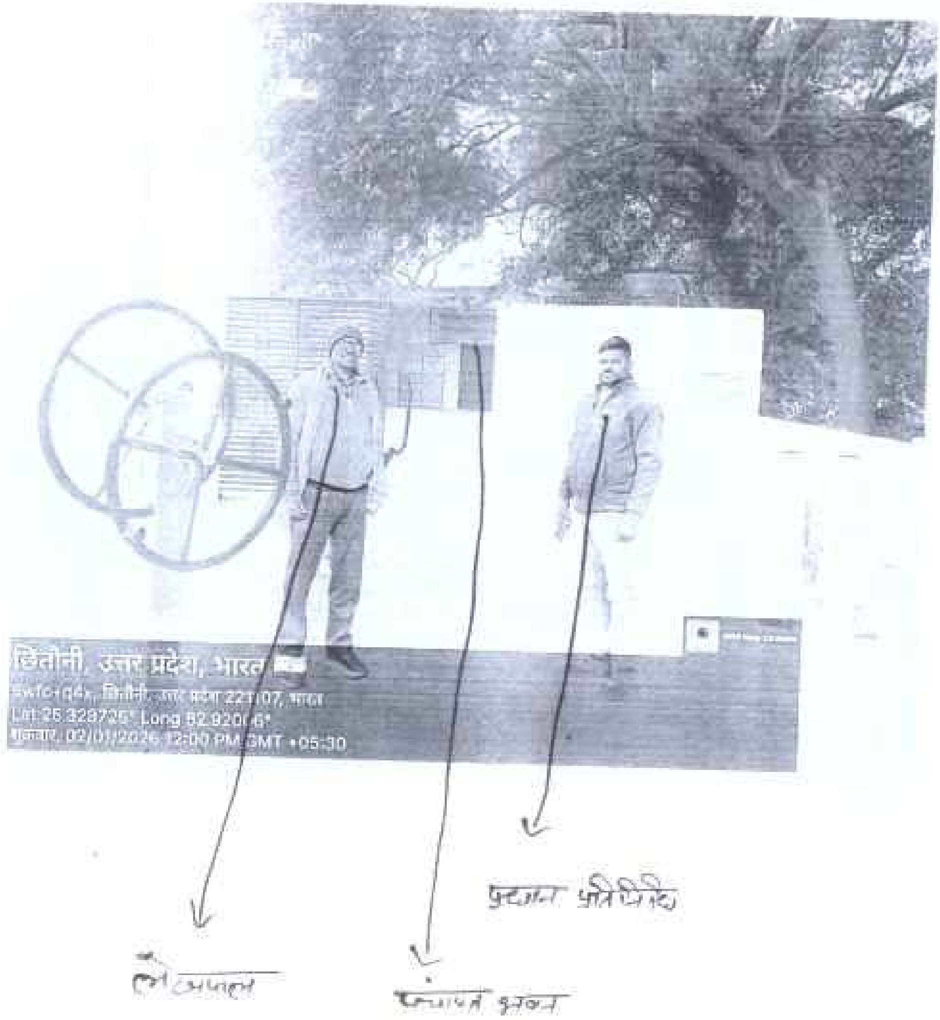
छितौनी, उत्तर प्रदेश, भारत
02/01/2026 12:00 PM GMT +05:30
प्रधान प्रतिनिधि
पंचायत भवन

फर्द कार्यवाही

आज दिनांक 02-01-2026 ई० को ग्राम ककरहिया परगना कटेहर तहसील सदर जिला वाराणसी में स्थित आराजी 193 रकबा 0.045 हे० नवयुवक मंगल दल का ग्राम प्रधान व ग्राम [illegible] के समक्ष तथा ग्रामीणों की उपस्थिति में कब्जे [illegible] कर दिया गया। उक्त आराजी मौके पर खाली है। उक्त आराजी से पूर्व से [illegible] व [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] हुआ है। अतः [illegible] आराजी 193 रकबा 0.045 हे० नवयुवक मंगल दल की भूमि पर नहीं किया जा रहा है। ग्राम प्रधान व उपस्थित व्यक्तियों का प्रमाण स्वरूप हस्ताक्षर बनवाया गया।

उपस्थित ग्रामीण एवं ग्राम प्रधान

[illegible] ([illegible])

ग्राम प्रधान
[illegible]
2-01-2026

[illegible]

लाल बहादुर [illegible] ([illegible])

राम दयाल

पूजा
02/01/26

[illegible] ([illegible])

राधा सिंह ([illegible])

Suraj Kumar

Item No. 01 Court No. 1

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

Original Application No.657/2023

Vinod Kumar Singh Applicant

Versus

State of Uttar Pradesh Respondent

Date of hearing: 31.10.2023

CORAM: HON'BLE MR. JUSTICE PRAKASH SHRIVASTAVA, CHAIRPERSON
HON'BLE DR. A. SENTHIL VEL, EXPERT MEMBER

ORDER

1. This original application is registered on the basis of the letter petition dated 13.10.2023 sent by one Vinod Kumar Singh resident of Kakarahiya Post Lohta, District Varanasi, UP.

2. In the letter petition, complaint of the applicant is that in Village Kakarahiya illegal plotting is going on which is changing the nature of the agricultural land which is affecting the traditional cultivation pattern.

3. It has been alleged that the sewage is discharged in the open agricultural field and due to connection of the drains with irrigation canal fertility of land in the area is affected and hazardous elements are entering the agricultural fields.

4. It is further alleged that in the race of urbanization ponds, parks etc are not protected and construction is being raised on green and wetland area.

5. Though, we find that the complaint lacks in necessary particular in respect of any specific area of the village or town where such violations

are taking place but having regard to the nature of the allegations made in the letter petition, we deem it proper to direct Secretary, Uttar Pradesh Pollution Control Board to duly consider the grievance raised in the letter petition and ascertain the truthfulness of the allegation and also find out the correct position and thereafter take remedial action, if required. Let the said exercise be completed within a period of three months from the date of receipts of copy of this order.

6. A copy of the complaint along with copy of this order be forwarded to the Secretary, UPPCB by email or compliance.

7. The Secretary, UPPCB will submit the action taken report before the Registrar General of the Tribunal within four months. If found necessary, the matter may be placed before the Court for consideration.

8. The Original Application is disposed of accordingly.

Prakash Shrivastava, CP

Dr. A. Senthil Vel, EM

October 31, 2023
Original Application No.657/2023
JG

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वाराणसी
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD, VARANASI

LiFE Lifestyle for Environment

संदर्भ सं./Ref.No. 825/IGRS/2025-26 दिनांक/Date. 24/10/2025

सेवा में,

श्री विनोद कुमार सिंह,
ग्राम–ककरहियॉं, पोस्ट–लोहता,
जनपद–वाराणसी।

विषयः–आई0जी0आर0एस0 संदर्भ संख्या 60000250228371 के माध्यम से की गई शिकायत के निस्तारण के सम्बंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक शिकायत के साथ आप द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण को प्रेषित शिकायती पत्र दिनांक 13.10.2023 प्राप्त है। उक्त शिकायत का परीक्षण किये जाने के उपरान्त पाया गया कि संदर्भित शिकायती प्रकरण मुख्य रूप से राजस्व विभाग से बिना लैंडयूज परिवर्तन कराये ग्राम–ककरहिया में अवैध प्लाटिंग किये जाने से सम्बंधित है तथा विगत में आप द्वारा घरेलू बहिस्राव के निस्तारण के सम्बंध में की गई शिकायत के निराकरण हेतु क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा दिनांक 06.10.2025 को निरीक्षण किया गया था तथा निरीक्षणोंपरांत शिकायत के समाधान हेतु इस कार्यालय के पत्र संख्या 757/आई.जी.आर.एस/25–26, दिनांक 06.10.2025 उप जिलाधिकारी, राजातालाब, वाराणसी एवं बी0डी0ओ0, काशी विद्यापीठ, जिला वाराणसी को पत्र प्रेषित करते हुए (छायाप्रति संलग्न) आपसे अपेक्षा की गई थी कि उक्त समस्या के निराकरण हेतु संदर्भित प्राधिकारी से सम्पर्क स्थापित किया जाय।

उपरोक्त के दृष्टिगत रखते हुए आपके आई0जी0आर0एस0 संदर्भ संख्या 60000250228371 के माध्यम से की गई शिकायत को निक्षेपित किया जाता है।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(रोहित सिंह)
क्षेत्रीय अधिकारी

<u>पृ0सं0 एवं दिनांकः–उपरोक्त।</u>

प्रतिलिपिः मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–6), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लखनऊ को पत्र संख्या एच 33718/वृत्त–6/आई.जी.आर.एस.–66(वॉल्यूम–2)/वाराणसी/2025, दिनांक 17.10.2025 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

CO 27/10/25

क्षेत्रीय अधिकारी

क्षेत्रीय कार्यालय : आवास विकास ऑफिस कॉम्प्लेक्स, जवाहर नगर, भेलूपुर, वाराणसी–221010, दूरभाष : 0542–2275951
मुख्यालय : टी0सी0–12वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ–226010, दूरभाष : 0522–2720828, 2720681, 2720831, फैक्स : 0522–2720764
ई–मेल : info@uppcb.in वेबसाइट : www.uppcb.up.gov.in

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वाराणसी
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD, VARANASI

संदर्भ सं० 757/आई०जी०आर०एस०/25-26 दिनांक 06-10-25

सेवा में,

1. उपजिलाधिकारी,
   राजातालाब, वाराणसी।
2. बी०डी०ओ०,
   काशी विद्यापीठ,
   जिला–वाराणसी।

विषयः–श्री विनोद कुमार सिंह, ग्राम–ककरहिया, पोस्ट–होहता, ब्लाक–काशी विद्यापीठ, वाराणसी द्वारा मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए०नं०–657/2023, विनोद कुमार सिंह बनाम स्टेट आफ उ०प्र० में पारित आदेश दिनांक 03.10.2023 के अनुपालन के संदर्भ में समन्वित शिकायत निवारण प्रणाली (आई०जी०आर०एस०) संदर्भ संख्या–60000250228371 के माध्यम से की गयी शिकायत के निस्तारण के सम्बंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने समन्वित शिकायत निवारण प्रणाली (आई०जी०आर०एस०) संदर्भ संख्या–60000250228371 जो मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० नं०–657/2023 विनोद कुमार सिंह बनाम स्टेट आफ उ०प्र० में पारित आदेश दिनांक 03.10.2023 के अनुपालन में ग्राम–ककरहिया, पोस्ट–लोहता, वाराणसी में ग्रीन एवं वेटलैण्ड एरिया में अवैध प्लाटिंग तथा घरेलू उत्प्रवाह के निस्तारण कृषि भूमि पर किये जाने के सम्बन्ध में है का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त के सम्बंध में अवगत कराना है कि विगत में इस कार्यालय के संदर्भ संख्या–411/एन.जी.टी./ओ.ए. नं.–657/2023/25–26, दिनांक 17.07.2025 के माध्यम से मा० एन०जी०टी० में उपरिसंदर्भित ओ०ए० के साथ प्रेषित शिकायत की प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में शिकायतकर्ता श्री विनोद कुमार सिंह को पत्र प्रेषित किया गया था (छायाप्रति संलग्न)। अद्यतन मे संदर्भित प्रकरण में इस कार्यालय द्वारा दिनांक 06.10.2025 को शिकायती स्थल का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय स्थल प्रतिनिधि के रूप में श्री संतोष कुमार सिंह उपस्थित थे। निरीक्षण के दौरान उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त भूमि दीवानी न्यायालय में दावा टाइटल सूट का मुकदमा विचाराधीन है। निरीक्षण आख्यानुसार उक्त स्थल पर लगभग 20 प्लाट कटे हुए हैं, जिसमें से 08 प्लाट पर भवन का निर्माण पाया गया। निरीक्षण आख्या संलग्न है।

उपरोक्त के दृष्टिगत शिकायती प्रकरण आपके विभाग से सम्बन्धित है। अतः शिकायती पत्र एवं मा० एन०जी०टी० द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.10.2023 को पत्र के साथ संलग्न कर इस आशय के साथ प्रेषित कि शिकायती प्रकरण में अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही से शिकायतकर्ता एवं इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(रोहित सिंह)
क्षेत्रीय अधिकारी
O/C

पृ०सं० एवं दिनांक : उपरोक्त।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय, वाराणसी को सादर सूचनार्थ।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–6), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
3. नोडल, आई०जी०आर०एस०, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
4. श्री विनोद कुमार सिंह, ग्राम–ककरहिया, पोस्ट–लोहता, वाराणसी को आई०जी०आर०एस० संदर्भ संख्या–60000250228371 के सम्बन्ध में सूचनार्थ प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी
O/C
ASO

क्षेत्रीय कार्यालय : आवास विकास ऑफिस कॉम्प्लेक्स, जवाहर नगर, भेलूपुर, वाराणसी–221010, दूरभाष : 0542–2275951, फैक्स : 0542–2275951
मुख्यालय टी०सी०–12वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ–226010, दूरभाष : 0522–2720828, 2720681, 2720831, फैक्स : 0522–2720764
ई–मेल : info@uppcb.in वेबसाइट : www.uppcb.in

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

संलग्नक: 2 D 1

वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा ध्वस्तीकरण

वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा ध्वस्तीकरण

विकास कर्ता द्वारा पुन: निर्माण।